संख्या-6/2016/369/18-4-2016-21(विविध)/14

प्रेषक,

राम निरंजन,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 18 मार्च,2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत उ0प्र0 हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014 का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11121/4/वित्त/पुनर्वि0/15-16, दिनांक 26-02-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-24/2015/1351/18-4-2015-21(विविध)/14, दिनांक 03-09-2015 के प्रस्तर-1 में वर्णित कार्यो की तालिका के क्रमांक-4 में निम्नांकित कार्यो हेतु रू0 -1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) की धनराशि अनुमन्य की गयी है :-

क्र0सं0	योजना का नाम	प्रस्तावित धनराशि रू0 में
4	प्रदेश में वर्तमान में लागू हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना/निर्यात प्रोत्साहन योजना को यथावश्यक व्यवहारिक संशोधन के साथ जारी रखा जाना। माल भाड़ा एवं किराया स्टाल मद	1,00,00,000

2. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 03-09-2015 के उक्त क्र0सं0-4 में उल्लिखित कार्यो के स्थान पर निम्न कार्यो हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय करने की स्वीकृति निम्नाकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्र0सं0	योजना का नाम	प्रस्तावित धनराशि रू0 में
4	प्रदेश के हस्तशिल्प के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु काफी टेबुल बुक के मुद्रण एवं प्रकाशन	24,75,000
	अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय हस्तशिल्प मेलों/लोक-कला मेलों में प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों का अधिकाधिक प्रदर्शन कराते हुए सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु	25,18,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	प्रदेश में वर्तमान में लागू हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना/निर्यात प्रोत्साहन योजना को यथावश्यक व्यवहारिक संशोधन के साथ जारी रखा जाना।	50,07,000
	योग	1,00,00,000

3-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उल्लिखित कार्यो पर ही सुनिश्चित किया जायेगा किसी अन्य मद में व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

4-स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता एवं न्यूनतम दरों को सुनिश्चित करने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक उद्योग का होगा।

5-इस सम्बंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6-शासनादेश संख्या-24/2015/1351/18-4-2015-21(विविध)/14, दिनांक 03-09-2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। संदर्भित शासनादेश दिनांक 03-09-2015 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(राम निरंजन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-6/2016/369(1)/18-4-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

3-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)सी0ए0एस0एस0-3/ टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।

4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।

6- संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।

8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3

9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।